झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

मदरसा परीक्षा के लिए पंजीयन हेतु आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 52/2017

एतद् द्वारा वर्ग वस्तानियाँ से मौलवी तक की परीक्षा 2018 के लिए पंजीकृत होने वाले सभी छात्र–छात्राओं, अभिभावकों, प्रधान मौलवी एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि सादा पंजीयन आवेदन प्रपत्र "झारखण्ड अधिविद्य परिषद्" कार्यालय राँची, संथाल परगना प्रमण्डल के मदरसा "क्षेत्रीय कार्यालय" दुमका तथा पलामू प्रमण्डल के मदरसा "प्रमण्डलीय कार्यालय" मेदिनीनगर से दिनांक 06.09.2017 से 08.09.2017 तक प्राप्त कर लें।

पंजीयन आवेदन पत्र जमा करने का कार्यक्रम

क्र. सं.	प्रमण्डल का नाम	भरे हुए पंजीयन आवेदन प्रपत्र जमा करने की तिथि			
		बिना विलम्ब शुल्क के		विलम्ब शुल्क सहित	
		मदरसा में	परिषद् में	मदरसा में	परिषद् में
01	सभी प्रमण्डल	26.09.2017 से 05.10.2017 तक	09.10.2017 से 11.10.2017 तक	09.10.2017 से 11.10.2017 तक	12.10.2017 से 13.10.2017 तक

✻ संथाल परगना प्रमण्डल के भरे हुए पंजीयन आवेदन प्रपत्र क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका तथा पलामू प्रमण्डल के भरे हुए पंजीयन आवेदन प्रपत्र प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर में जमा लिये जायेंगे।

शुल्क

(क)	पंजीयन आवेदन प्रपत्र	: ₹50/– प्रति आवेदन पत्र
(ख)	पंजीयन शुल्क (नियमित के लिए)	: ₹75/– प्रति छात्र
(ग)	पंजीयन शुल्क (स्वतंत्र के लिए)	: ₹150/– प्रति छात्र
(घ)	पंजीयन विलम्ब शुल्क (नियमित/स्वतंत्र के लिए)	: ₹175/– प्रति छात्र
(ङ)	अनुमति शुल्क स्वतंत्र एवं Non-Collegiate के लिए	: ₹200/– प्रति छात्र
(च)	विवध शुल्क	: ₹25/– प्रति छात्र
(छ)	आव्रजन शुल्क	: ₹125/– प्रति छात्र
(ज)	आव्रजन विलम्ब शुल्क	: ₹125/– प्रति छात्र

विहित शुल्क बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से "**झारखण्ड एकेडेमिक कौंसिल फण्ड**" के नाम से राँची में, परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका के लिए "**झारखण्ड एकेडेमिक कौंसिल फण्ड**" के नाम से दुमका में तथा परिषद् के प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर के लिए "**झारखण्ड एकेडेमिक कौंसिल फण्ड**" के नाम से डाल्टेनगंज में देय एवं भुगतेय होगा।

1. वर्ग वस्तानियाँ में केवल नियमित(Regular)छात्र/छात्राओं का पंजीयन होगा।
2. वर्ग वस्तानियाँ के लिए आयु सीमा 12 वर्ष, फौकानियाँ के लिए 14 वर्ष एवं मौलवी के लिए 16 वर्ष होना अनिवार्य है। जन्मतिथि सत्यापन के लिए आधार कार्ड अथवा जन्म प्रमाण पत्र (सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत) की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. पंजीयन आवेदन प्रपत्र दो प्रतियों में है, जिसमें श्वेत–श्याम (Black & White) फोटो ही चिपकावें। आवेदन प्रपत्र के पहले भाग (कार्यालय प्रति) के फोटो मदरसा प्रधान द्वारा अभिप्रमाणित होगा तथा दूसरे भाग (कम्प्यूटर प्रति) के फोटो बिना अभिप्रमाणित तथा बिना मुहर का ही रहेगा।
4. फोटो के बॉक्स के नीचे दिए छोटे बॉक्स में ही छात्र को हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा।
5. पंजीयन आवेदन प्रपत्र काली स्याही से ही भरे जायेंगे।
6. पंजीयन आवेदन प्रपत्र ओवर राइटिंग, काट–छाँट होने तथा मदरसा प्रधान के हस्ताक्षर के स्थान पर Facsimile उपयोग करने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।
7. Non-Collegiate छात्र/छात्राओं को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए परिषद् से अनुमति लेना अनिवार्य है। जिसका डाटा अलग तैयार करना है। Non-Collegiate छात्र/छात्राओं को परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरते समय न्यायालय द्वारा इस आशय का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि इस बीच किसी अन्य संस्था से शिक्षा ग्रहण नहीं किए हैं। साथ ही सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय एवं आचरण प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
8. निर्धारित तिथि के पश्चात् किसी भी परिस्थिति में पंजीयन आवेदन प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
9. पंजीयन आवेदन प्रपत्र नि:शुल्क दी जाएगी परन्तु पंजीयन आवेदन प्रपत्र का निर्धारित शुल्क भरे हुए पंजीयन आवेदन के साथ जमा करना आवश्यक होगा। बचे हुए पंजीयन आवेदन प्रपत्र को विवरणी के साथ परिषद् कार्यालय में वापस किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा उसका निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
10. डाक द्वारा भेजा गया पंजीयन आवेदन–पत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./- (रजनीकांत वर्मा)
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/मदरसा/10660/11/SECY/519/17
Dt. 05.09.17
D.O.P: 06.09.17

Size: 8x21 = 168 sqcm